

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स गुणा एण्ड ग्राण्ड इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड, प्रो० श्री कृष्णा मुरारी, पिता—श्री शिव शंकर ठाकुर, ग्राम—महमदपुर, पो०—सिंगार फलकाहा, जिला—मुजफ्फरपुर द्वारा औरंगाबाद सोन नदी बालु घाट—26, ग्राम—धामनी, पो० एवं ब्लॉक—बारुण, जिला—औरंगाबाद अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 26.06.2023 को अपराह्न 01:45 बजे प्रखण्ड सभागार, बारुण, जिला—औरंगाबाद के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2274/2023, dated 03.02.2023 के आलोक में श्रीमति मन्जु प्रसाद, अपर समाहर्ता, लोक शिकायत निवारण, औरंगाबाद (जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 26.06.2023 को अपराह्न 01:45 बजे प्रखण्ड सभागार, बारुण, जिला—औरंगाबाद में लोक—सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक—1)

इस लोक—सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 10.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक—सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक—सुनवाई में उपस्थित जन—समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०—एस. ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक—सुनवाई की पृष्ठ—भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा औरंगाबाद सोन नदी बालु घाट—26, ग्राम—धामनी, पो० एवं ब्लॉक—बारुण, जिला—औरंगाबाद के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदया द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमीर अख्तर ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री उपेन्द्र कुमार, जदयू प्रखण्ड अध्यक्ष, बारुण, औरंगाबाद।	इनके द्वारा धूल-कण की राकथाम हेतु जल का छिड़काव नियमति रूप से करें, सड़क जमा हेतु वाहनो को सड़क के किनारे खड़ा करें, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें, स्थानीय लोगो को रोजगार देने तथा स्थानीय लोगो को कम रेट में बालू देने का लेसी को सुझाव दिया गया। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
2.	श्री महेन्द्र सिंह, धामनी, औरंगाबाद।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा इसप्रकार श्री महेन्द्र सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।


3.	श्री सुधांशु कुमार सिंह, करमकिला, औरंगाबाद।	इनके द्वारा स्थानीय लोगो को मजदूरी देने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम नहीं दिया जायेगा। इसप्रकार श्री सुधांशु सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री निरंजन कुमार, पिता: जितेन्द्र सिंह, ग्राम-धामनी पंचायत, जिला-औरंगाबाद।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान सड़क टूटने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मत लेसी को करना है। इसप्रकार श्री निरंजन कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री शारदा सिंह, पिता: श्री मुन्द्रिका सिंह, ग्राम-शेखपुरा, जिला-औरंगाबाद।	इनके द्वारा स्थानीय लोगो को रोजगार देने एवं मजदूरी से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा तथा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम नहीं दिया जायेगा। इसप्रकार श्री शारदा सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।



क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद,
गया



अपर समाहर्ता,
लोक शिकायत निवारण
औरंगाबाद

10.	मुन्ना कुं २मा	धमनी 9128143929	Munna K. Sunkar
11.	Ranjam Kumar	धमनी 7464027415	Ranjam
12.	शांता सिं	शांता देवरा म. 9608324731	शांता
13.	Vijay Kumar	धमनी 8809955000	Vijay Kumar
14.	राम राज सिं	रीवापुरा 9102565248	राम राज सिं
15.	सुनिमकुमार	रीवापुरा	सुनिमकुमार
16.	आजल पासवान	धमनी 8757102360	आजल पासवान
17.	सुनील कुमार सिं	धमनी 9142806496	सुनील कुमार सिं
18.	आजल पासवान	धमनी 6804691539	आजल
19.	राजेश कुमार	धमनी 7004024981	राजेश/मल
20.	अजय कुमार	धमनी 620370641	अजय

21.	केलाशासिंह	जाम करमा किला	केलाशासिंह
22.	मीनोप कुमार सिंह	जाम करमा किला 6209502036	मीनोप कुमार सिंह
23.	परमजीत कुमार	जाम - करमा किला 9798199617	परमजीत कुमार
24.	धर्मेश कुमार	बारुवा 6202260195	Dharmesh K.
25.	जिजन कुमार	बारुवा 9262915999	JiJan K.
26.	Aashish Kr.	बारुवा 9661458123	Aashish K.
27.	Sudhanshu Kumar Singh	जाम किला 9708651013	Sudhanshu Singh
28.	Deepak Kumar Singh	बारुवा 7654001408	Deepak
29.	Shresh Kumar	Dhamni 8709892112	Shresh
30.	Komal Raj	Dhamni 9661078782	Komal Raj.
31.	अमर सिंह	बारुवा 7488671265	Amr Singh

32.	अभिजित कुमार सिंह	काठमाडौं	अभिजित कुमार 7667323569
33.	पिन्डु सिंह	बोकोपुरा 8709442256	पिन्डु सिंह
34.	अकश सिंह	धमनी बाजार 7808270027	अकश सिंह
35.	अमित कुमार	अमित कुमार 9807008510 बाकल	Akash Kumar
36.	आशुष कुमार सिंह	धमानी 7277307209	आशुष कुमार सिंह
37.	उपेन्द्र कुमार	जय (यू) प्रसाद अष्टमदा बाजार	Ujendra 8084485512
38.	सहेदु सिंह	9771957765	सहेदु सिंह
39.	सुनील कुमार	धमनी	सुनील कुमार
40.	राजेश्वर सिंह	धमनी बाजार 8809220681	Rajeshwar Sinh
41.	कुलपुत्र सिंह	शे.बा.कु.	कुलपुत्र सिंह
42.			